तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
	श्री [illegible] Adv G.A.	
20.1.16	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील में मियाद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 8–02–16 को पेश हो।	[illegible] 207 21.01.16
08.02.16	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश के रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई है। बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि उनके द्वारा अपनी कृषि भूमि को ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा 15 जैड में रहन रख कर ऋण प्राप्त किया गया था। ऋण चुकता कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इंतकाल को पारित करते समय ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 15 जैड के स्थान पर शाखा श्रीगंगानगर अंकित कर दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त किया जावे। उक्त बहस का राजकीय अधिवक्ता द्वारा विरोध नही किया गया है। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अपीलांट द्वारा ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा 15 जैड से चक 9 क्यू के मुरब्बा नम्बर 57 की 1.211 है. नहरी भूमि को रहन रख कर ऋण प्राप्त किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इंलकाल पारित करते समय ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा 15 जैड के स्थान पर श्रीगंगानगर अंकित करने में विधिक भूल की गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है। फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन इंतकाल संख्या 339 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि अपीलाधीन इंतकाल को दुरूस्त किया जाकर ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, श्रीगंगानगर के स्थान पर शाखा 15 जैड अंकित किया जावे एवं इसी अनुसार अन्य राजस्व अभिलेखों में भी दुरूस्ती की जावे। आदेशिका की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)